HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8696/2024

1. Afjal S/o Habib @ Habbi, Aged About 31 Years, R/o Gram Sadan Ka Bas, Lalpur, Police Station Kaman, District Deeg.
2. Habib @ Habbi S/o Hamida, Aged About 73 Years, R/o Gram Sadan Ka Bas, Lalpur, Police Station Kaman, District Deeg.

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Mohd. Shakir Khan
For Respondent(s) : Ms. Manju Dave, Addl. G.A.

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

13/12/2024

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा **482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र, पुलिस थाना कामां जिला डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **06/2024** अपराध अन्तर्गत धारा **143, 323, 341, 307, 120–बी** भारतीय दण्ड संहिता में अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त हबीब उर्फ हब्बी की ओर से गिरफ्तार होने के पश्चात् धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत पृथक से जमानत प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है, अतः उसकी ओर से यह प्रार्थना–पत्र निष्फल हो चुका है, उसकी सीमा तक निरस्त किया जाता है। अब इस प्रार्थना–पत्र पर केवल अभियुक्त अफजल के सम्बन्ध में ही सुनवाई एवं निस्तारण किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त अफजल का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र (Fire Arm) की कोई चोट कारित नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तत्पर है। उसे गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होगी, अतः उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही प्रार्थी/अभियुक्त का नाम दर्ज है। उस पर कट्टे से फायर करने का आक्षेप है। कट्टे की बरामदगी की जानी है, अतः अग्रिम जमानत का प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रार्थी–अभियुक्त 323, 341, 307, 143 एवं 120–बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम, प्रथम सूचना रिपोर्ट में, कट्टे से परिवादी के भाई आसिक पर फायर करने वालों में लिया गया है तथा उसके द्वारा जान से मारने की नीयत से आसिक पर कट्टे से फायर करना अंकित किया गया है। अभी प्रार्थी/अभियुक्त के आधिपत्य से अपराध में प्रयुक्त हथियार कट्टे को भी बरामद किया जाना है। ऐसी स्थिति में इस प्रक्रम पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसे मामले में मिथ्या संलिप्त किया जा रहा है। उससे अभी अनुसंधान भी शेष है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /13